अपील फौजदारी प्रकरण संख्या–111/2025
श्रीमती इन्द्रा चौधरी बनाम जितेन्द्र सिंह

28.03.2026 :–

अपीलार्थी श्रीमती इन्द्रा चौधरी अनुपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र टांक उपस्थित। प्रत्यर्थी/परिवादी जितेन्द्र सिंह मय अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलार्थी श्रीमती इन्द्रा चौधरी के उपस्थित नहीं आने से उसकी ओर से उसके अधिवक्ता श्री देवेन्द्र टांक व प्रत्यर्थी/परिवादी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया। चूंकि प्रकरण को आज पेशी पर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हेतु मध्यस्थता केन्द्र, राजसमंद को रेफर किया गया था, जहां से मध्यस्थतम आदेश, मध्यस्थतम वार्ता सफल होकर मध्यस्थता करार दिनांकित 28.03.2026 के साथ प्राप्त हुआ जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य समझौता वार्ता करवाई गई जो सफल रही।

समझौता अनुसार पक्षकारान के मध्य कोई विवाद अथवा लेनदेन शेष नहीं रहा है। परिवादी/रेस्पों. द्वारा विवादित चैक की सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी/अभियुक्त से प्राप्त कर ली गई है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से वे अब प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं विवाद को समाप्त करते हैं। पक्षकारान प्रकरण में समझौता अनुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं। मध्यस्थता करार शामिल पत्रावली रहे। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संलग्न पत्रावली रहे।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा मध्यस्थता इकरार के आधार पर

अपीलार्थी/अभियुक्ता श्रीमती इन्द्रा चौधरी को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण), राजसमंद के प्रकरण संख्या 110/2021 रे.फौ. उनवान जितेन्द्रसिंह बनाम श्रीमती इन्द्रा में पारित दण्डादेश/निर्णय दिनांक 31.07.2025 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्ता श्रीमती इन्द्रा चौधरी को अपराध धारा 138 एनआई एक्ट के आरोप से जरिये मध्यस्थता ईकरार राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है। इस आदेश की सत्यप्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेख भण्डार हो।

28/03/2026
सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द